पत्र सं0-431 /xxvii (131)/2017

प्रेषक ,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक ,
लेखा परीक्षा
आयुक्त कर भवन, रिंग रोड़, देहरादून।

वित्त आडिटप्रकोष्ठ देहरादून : दिनांक 22 सितम्बर , 2017

विषय : राज्य के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, विश्वविद्यालय, आदि की आन्तरिक लेखापरीक्षा कराने हेतु चार्टेड एकाउन्टेंटस का सूचीबद्धीकरण (empanelment) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 184/xxvii(11)/2017 दिनांक: 28 अगस्त, 2017 के द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार 13 सी0ए0 फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है। आहरण वितरण अधिकारियों की दरें स्तम्भ तीन में उल्लेखित हैं। इसके अतिरिक्त विभागों के मुख्यालय/निदेशालय/विश्वविद्यालय/निगमों की दरें स्तम्भ '4' में उल्लेखित की गयी हैं।

Sr. No	Name of firm and address	Audit at Drawing and Disbursing Officer in district (excluding GST excludingGST (GST As Applicable) In Rs.	Audit of State Headquarter/ Head of Department/ Directorate/ Universities /Corporations excludingGST (GST As Applicable) In Rs.	Contact No.
1	2	3	4	5
1	M/s Vimal Dixit & Associates, H.O. 65/75, Chitwapur Road, Opp. Vikas Deep Building, (Station Road) Lucknow - 226001	4460	10336	0522-2635331 9415028025
2	J.N Mittal & Co., First Floor, Opposite UCO Bank, Shimla Road, Dehradun- 248001.	4460	10336	9410319390
3	M/s S. Srivastava & Co. Flat No-07, Hotel Jillway, Rajpur,	4460	10336	0512-2354933

	Dehradun-248001			8960533533
4	Anil Ajay and co., Office N0. 37-38, Block DDA Market, Surahmal Vihar, Delhi-110092	4460	10336	9312230975 011-4367815
5	M/s Singh Agarwal & Associates, 54 Raja Road, Adjoining Gita Bhawan Mandir, Dehradun	4460	10336	0135-2724702 9719133313
6	Chandidwala Virmani and Associates, Kasruja Complex, Laxampr Chowk, Vikas Nagar, Dehradun- 248001	4460	10336	011-30187085 0901522857 2
7	Ansul Aggarwal & company, Sela Khola, Chaughan Pata, Near P.W.D. Office, Almora-263601	4460	10336	9410183805 0135-2622333
8	BRAN & Associates, 301, Kale Ram Chamber, 2, East Guru Angad Nagar, Delhi-92	4460	10336	011-22445183
9	Pramod K. Sharma & Company, Z-2, Zone- 1, M.P. Nagar, Bhopal, MP- 462011	4460	10336	0181462172 9 9914147947
10	P.K. Singhal & Company, E-24A, IInd Floor, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092	4460	10336	011-22013773 0931308838 6
11	K.K.Channai & Associates, 5/1 Clive Row, 3rd Floor, Room No. 78, Kolkata- 700001	4460	10336	9830044507 0133-22624786
12	Hemant Arora & Company, 354-B, 30 Civil Lines, Roorkee-247667	4460	10336	1332273343 9410319390
13	Roy Gosh & Associates, 4th Floor, Room No- 10,545, G. T. Road (s), Howrah- 711101	4460	10336	22360048 9830049337

ख. शासनादेश के बिन्दु संख्या: '9' के अनुसार निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा सी0ए0 फर्मों की तीन दिवसीय कार्यशाला के उपरांत सी0ए0 फर्मों को आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु कार्यदेश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक: 25 सितम्बर, 2017 से 27 सितम्बर, 2017 तक सी0ए0 फर्मों की कार्यशाला आहूत की जा रही है। इस क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सूचीबद्ध सी0ए0 फर्मों द्वारा विभिन्न विभागों में वर्ष 2016-17 की आन्तरिक लेखा परीक्षा निम्नवत् तालिका के अनुसार सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.सं.	फर्म का नाम	विभाग का नाम	लेखे के नाम
1	विमल दिक्षित एण्ड एसोसिएट, लखनऊ	तकनीकी शिक्षा	प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक 1. अल्मोड़ा (महिला), 2. कर्णप्रयाग, 3. आमवाला, 4. देहरादून, 5. देहरादून(महिला), 6. विकासनगर, 7. लक्सर, 8. हरिद्वार(सदर), 9. कोटद्वार, 10. श्रीनगर, 11.टिहरी, 12. शक्तिफार्म, 13. पंतनगर, 14. बाजपुर, 15. खटीमा
2	मै0 जे0एन0 मित्तल एण्ड कम्पनी, देहरादून	ग्राम्य विकास	खण्ड विकास अधिकारी, 1. जोशीमठ,2. गैरसेण, 3.ऊखीमठ, 4. दुग्ड़ा, 5. पाबौ, 6. खिर्सू, 7.भटवाड़ी,8. डुण्डा, 9. चम्बा, 10. नरेन्द्रनगर, 11. रूड़की, 12. लक्सर, 13. डोईवाला, 14. चकराता, 15. 16. भगवानपुर
3	मैसर्स एस0 श्रीवास्तवास्तव एण्ड कम्पनी, देहरादून	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 1. अल्मोड़ा, 2. रानीखेत, 3. चम्पावत, 4. टनकपुर, 5. हल्द्वानी, 6. हल्द्वानी(महिला), 7. भीमताल, 8. भवाली(महिला), 9. धारचूला, 10. पिथौरागढ़, 11. काशीपुर, 12. काशीपुर (महिला), 13. गदरपुर, 14. दिनेशपुर, 15. पंतनगर
4	मैसर्स अनिल अजय एण्ड कम्पनी, दिल्ली	ग्राम्य विकास	खण्ड विकास अधिकारी- 1. जसपुर, 2. किच्छा, 3. लोहाघाट, 4. बाराकोट, 5. हल्द्वानी, 6. रामनगर, 7. गदरपुर, 8. पिथौरागढ़,9. गरूड़, 10. बागेश्वर, 11. ताकुला, 12. बेतालघाट, 13. द्वाराहाट, 14. सल्ट, 15. बेरीनाग
5	मैसर्स सिंह अग्रवाल एण्ड कम्पनी, देहरादून	जलागम प्रबन्धन	उप परियोजना निदेशक - 1.बागेश्वर,2. गैरसेण, 3. लोहाघाट, 4. विकासनगर, 5. डीडीहाट, 6.पिथौरागढ़, 7. अगस्तमुनि, 8. मुनि की रेती, 9. चिन्यालीसौड, 10. उप परियोजना निदेशक यू0डब्ल्यू0पी0 फेज II- थत्यूड़ 11. पौड़ी 12. अल्मोड़ा 13. उप परियोजना निदेशक, आई0एल0एस0पी0, नैनीताल 14. चम्पावत 15. अल्मोड़ा
6	मैसर्स चांदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएट, देहरादून	पशुपालन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 1. देहरादून, 2. पौड़ीगढ़वाल, 3. उत्तरकाशी, 4. रूद्रप्रयाग, 5. नैनीताल, 6. उधमसिंहनगर, 7. चम्पावत, 8. परियोजना निदेशक, पशु प्रजनन केन्द्र, भैरीसैण 9. अपर निदेशक, पशुपालन विकास, गोपेश्वर 10.परियोजना निदेशक, पशुलोक, ऋषिकेश 11. परियोजना

			निदेशक भेड़ प्रजनन केन्द्र, माकू 12. परियोजना निदेशक, कालसी पशु चिकित्सक/पशु चिकित्सक ग्रेड-1 13. डोईवाला 14. ऋषिकेश 15. विकासनगर
7	मैसर्स अंशुल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, अल्मोड़ा	वन	1. वन संरक्षक, उतरी कुमाऊ वृत्त 2. प्रभागीय वनाधिकारी ,अल्मोड़ा वन प्रभाग 3. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग 4. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग 5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग 6. सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा 7. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त 8. प्र0 व0, देहरादून वन प्रभाग 9. प्र0 व0, हरिद्वार वन प्रभाग 10. प्र0व0, लैन्सडोन वन प्रभाग 11. भू0सं0 वन प्रभाग, लैन्सडोन 12. भू0 सं0 वन प्रभाग, कालसी 13. नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ 14. केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग 15. कार्बेट टाइगर रिजर्व ,रामनगर
8	मैसर्स ब्रान एण्ड एसोसिएट, दिल्ली	खेल	क. 1. निदेशक, खेल ख. जिला क्रीड़ा अधिकारी 1. अल्मोड़ा, 2. बागेश्वर, 3. चमोली, 4. चम्पावत, 5. देहरादून, 6. हरिद्वार, 7. पिथौरागढ़, 8. उत्तरकाशी, 9. रूद्रप्रयाग, 10.नरेन्द्रनगर, 11. उधमसिंहनगर, 12. सहायक निदेशक- हल्द्वानी, 13. पौड़ी गढ़वाल
9	मैसर्स प्रमोद के0 शर्मा एण्ड कम्पनी, मध्यप्रदेश	परिवहन	परिवहन अधिकारी, 1. अल्मोड़ा, 2. बागेश्वर, 3. कर्णप्रयाग, 4. टनकपुर, 5. देहरादून, 6. ऋशिकेश, 7. हरिद्वार सदर, 8. हल्द्वानी, 9. पौड़ी, 10. कोटद्वार, 11. पिथौरागढ़, 12. रूद्रप्रयाग, 13. टिहरी, 14. उधमसिंहनगर, 15.उत्तरकाशी,
10	मैसर्स पी0के0 सिंघल एण्ड कम्पनी, दिल्ली	उच्च शिक्षा	प्राचार्य डिग्री कालेज अल्मोड़ा- 1. चौखटिया, 2. जैंती बागेश्वर- 3. बागेश्वर, 4. काण्डा गोपेश्वर- 5. विधि कालेज गोपेश्वर, 6. जोशीमठ चम्पावत- 7. चम्पावत देहरादून- 8. त्यूणी, 9. विकासनगर

			नैनीताल -10. डिग्री बालिका कालेज, हल्द्वानी, 11. कोटबाग पौड़ी -12. रखणीखाल, 13. नैनीडांडा, टिहरी-14. देवप्रयाग, 15. नरेन्द्रनगर
11	मैसर्स के0के0 चनानी एण्ड एसोसिएट, कोलकत्ता	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य चिकित्साधिकारी 1. नैनीताल, 2. देहरादून, 3. चम्पावत,4. बागेश्वर, 5. पौड़ी, 6. चमोली, 7. रूद्रप्रयाग मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-8. चमोली, 9. देहरादून(महिला), 10. कोरेनेशन(देहरादून), 11. जे0बी0 पंत, नैनीताल 12. नैनीताल (महिला) 13. एस0पी0एस0 ऋषिकेश, संयुक्त चिकित्साधिकारी14. टनकपुर, 15. रामनगर
12	मैसर्स हेमन्त अरोरा एण्ड कम्पनी, रूड़की	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं वन विभाग	जिला पूर्ति अधिकारी, 1. नैनीताल, 2. अल्मोड़ा, 3. उधमसिंहनगर, 4. पिथौरागढ़, 5. चम्पावत, 6. बागेश्वर वरिष्ठ सम्भागीय खाद्य नियत्रंक, 7. देहरादून, 8. हल्द्वानी 9. प्र0व0, टिहरी वन प्रभाग 10. प्र0व0,उत्तरकाशी वन प्रभाग 11. प्र0व0,नरेन्द्रनगर वन प्रभाग 12. प्र0व,0टिहरी डेम वन प्रभाग-1 13. प्र0व0,टिहरी डेम वन प्रभाग-2 14 प्र0व0भू0स0, वन प्रभाग उत्तरकाशी 15 वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त
13	मैसर्स रॉय घोषएण्ड एसोसिएट हावड़ा।	ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, 1.बागेश्वर , 2. चमोली, 3. कर्णप्रयाग, 4. चम्पावत, 5. हरिद्वार सदर, 6. देहरादून, 7. पिथौरागढ़, 8. नैनीताल, 9. पौड़ी, 10. कोटद्वार, 11. रूद्रप्रयाग, 12. घनसाली, 13. टिहरी, 14. रूद्रपुर, 15. उत्तरकाशी

<u>ग. सी ए फर्म के लेखा परीक्षा संपादन हेतु नियम एवं समय सारणी</u>

1. सी0ए0 फर्मों को ई0ओ0आई के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है । सी0ए0 फर्मों द्वारा ई0ओ0आई/आर0एफ०पी0 के अनुसार लेखा परीक्षा सम्पादित की जाएगी ।

2. सी0ए0 फर्मों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्त्तीय हस्त पुस्तिकाओं ,वित्तीय नियमों यथा अधिप्राप्ति नियमावली, बजट मैन्युअल , अधिथान सम्बन्धी नियम इत्यादि , विभिन्न शासनादेशो , राज्य लेखा परीक्षा नियम सग्रह 2011 के अनुसार लेखा परीक्षा सम्पादित की जायेगी।

3. लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य रूप से हिन्दी में प्रस्तुत की जायेगी। समस्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट मंगल फॉण्ट में टंकित की जाएगी ।

4. इ.ओ.ई के बिन्दु संख्या: 4 (b) के अनुसार सी0ए0 फर्मों द्वारा लेखों की लेखा परीक्षा किये जाने के उपरांत विभागवार Zip File के रूप में ई मेल के माध्यम से निदेशालय, लेखा परीक्षा एवं वित्त आडिट प्रकोष्ठ में लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। Zip File के अंतगर्त प्रत्येक लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं मुख्य लेखा परीक्षा आपप्तियों को संकलित की जाएगी । एक्सपर्ट कमेटी द्वारा रिपोर्टों को अंतिम रूप दिये जाने के उपरान्त इन रिपोर्ट को सी0ए0 फर्मों द्वारा इ.ओ.ई के प्रावधान के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट निर्गमन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमो में उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. सी0ए0 फर्मों द्वारा विभागों की आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु कम से कम 03 सदस्यों का आडिट दल निर्धारित किया जायेगा ।

6. इ .ओं. आई के प्राविधान के अनुसार प्रत्येक टीम में कम से कम एक FCA/ACA को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा हेतु 02 सदस्य जिनको लेखा परीक्षा का समुचित ज्ञान हो टीम के सदस्य होगे ।

7. लोक निर्माण, सिचाई विभाग एवम अन्य अभियंत्रण सेवा के विभागों हेतु जिसे अभियंत्रण सेवाओ की लेखापरीक्षा का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

8. निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा तीन दिवसीय कार्यशाला उपरांत सी0ए0 फर्म को विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्यादेश निर्गत किये जायेगे। कार्यादेश प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंतर्गत लेखा परीक्षा प्रारम्भ करना सी.ए, फर्मो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जायेगा की सी .ए फर्म द्वारा दो सप्ताह में कार्य प्रारंभ कर लिया गया है ।

9. सी0ए0 फर्मों द्वारा कार्यशाला दिवस पर अनुबन्ध पत्र स्टाम्प पेपर पर निर्धारित स्टाम्प 'शुल्क सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

10. निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा ई0ओ0आई0 के प्रावधान 15(g) के अनुसार सी0ए0 फर्मों को विभागवार आवंटित कार्य के अनुसार सी0ए0 फर्मों के देय फीस की गणना करते हुए 5% प्रतिशत प्रतिभूति (Security Deposit) धनराशि की सावधि जमा (Fixed Deposit) निदेशक, लेखा परीक्षा, देहरादून के नाम पर कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निदेशालय, लेखा परीक्षा के आडिट संबन्धी पर्यवेक्षक अधिकारियो को पूर्व के भाति ही मंडलवार नोडल अधिकारी नामित किया जाता है । नोडल अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा कि इ.ओ.ई के प्रावधानों एवं इस शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार विभागों की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. लेखा परीक्षा सूचना जारी होने के उपरांत सी0ए0 फर्मों (ऑडिट दल) से ऑडिट को न कराये जाने का अनुरोध आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मान्य नहीं होगा। अपरिहार्य स्थिति में विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में निदेशक लेखा परीक्षा को अनुरोध समुचित कारण के साथ किया जा सकता है ।

13. सी. ए. फर्मों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पारण उपरांत कार्य की गुणवत्ता अनुसार लेखा परीक्षा फर्म को अग्रेत्तर कार्य आवंटित किया जायेगा ।

14. लेखापरीक्षा हेतु विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जिसके द्वारा लेखापरीक्षा के समय सी .ए फर्म, निदेशालय लेखापरीक्षा,वित्त ऑडिट प्रकोष्ट के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा ।नोडल अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु आवंटित आहरण वितरण अधिकारियो के पूर्ण पता, मोबाइल नंबर ,इ-मेल एवं अन्य जानकारी सी ए फर्मों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

15. लेखा परीक्षा आवंटन के समय ऑडिटी को लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेखों / पंजिकाओ/ विभिन्न प्रकार के लेखो की सूची भेजी जायेगी जिसे लेखापरीक्षा से पूर्व ऑडिटी द्वारा तैयार करते हुए ऑडिट दल को समयानुसार उपलब्ध कराई जाएगी ।

16. आनलाईन आडिट होने की स्थिति में सी0ए0 फर्मो को Temporary Login दिया जायेगा. जिसमे उनके द्वारा आनलाईन माध्यम से संचालित प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा की जाएगी।

<u>घ. लेखा परीक्षा हेतु समय सारणी</u>

1. सी0ए0 फर्मों को विभागों की लेखा परीक्षा हेतु 06 माह का समयनिर्धारित किया जाता है , सी. ए. फर्मो के द्वारा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर 2017 से कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

2. निदेशालय, लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त तिथि के अनुसार लेखा परीक्षा का कार्य प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । यदि सी0ए0 फर्मो द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो निदेशालय द्वारा प्रतिभूति (Security Deposit) को जब्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3.एक्सपर्ट कमेटी को प्रस्तुत रिपोर्ट में यदि गुणवत्ता की कमी पायी जाती है, तो इस संबंध में कमेटी द्वारा सचिव, वित्त को विस्तृत विवरण आख्या उपलब्ध कराई जायेगी। सचिव, वित्त द्वारा संबन्धित फर्म को इ.ओ.ई के प्रावधान संख्या 14 के अंतर्गत भविष्य में कार्य आवंटित न किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

4.प्रत्येक माह की आहरण वितरण अधिकारियों की आडिट रिपोर्ट अगले माह की 10 तारीक तक यथा स्थिति निदेशालय लेखापरीक्षा एवं वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को सी .ए फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी । इस हेतु वित्तीय वर्ष की संशोधित अंतिम तिथि 28 फरवरी 2018 उस समय तक समस्त रिपोर्ट यथा स्थिति एक्सपर्ट कमेटी को उपलब्ध कराया जाना सी.ए. एवं पर्यवेक्षक अधिकारियो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके उपरान्त इ.ओ.ई के प्रावधान 15(k) के अनुसार प्रतिदिन रु 100/- की धनराशि के अनुसार विलम्ब शुल्क आडिट फीस से निदेशालय लेखापरीक्षा द्वारा घटाई जायेगी।

5. सी0ए0 फर्मों द्वारा पाक्षिक (Fortnightly) रूप से निदेशालय, लेखा परीक्षा एवं वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को कार्य की प्रगति की सूचना ई-मेल (e-mail) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी । पाक्षिक (Fortnightly) कार्यप्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सी0ए0 फर्मों को लेखा परीक्षा हेतु समयावधि बढ़ोत्तरी किसी भी स्थिति में प्रदान नहीं की जायेगी । पाक्षिक रिपोर्ट उपलब्ध न कराया जाना कार्य की तरफ उदासीनता एवं आई .सी ए. आई . द्वारा सी .ए के लिए निर्धारित कोड ऑफ़ एथिक्स (code of ethics) के अंतर्गत अनुशासनहीनता का परिचायक माना जायेगा

6. निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा प्रतिमाह सी.ए. फर्म की लेखा परीक्षा की प्रगति का विवरण बनाया जायेगा । जिन सी .ए . फर्मो द्वारा लेखा परीक्षा कार्य में शिथिलता की जाएगी उन्हें लेखापरीक्षा सूचीबद्धकरण सूची से तत्काल रूप से हटा दिया जाने की संस्तुति शासन को निदेशालय द्वारा प्रेषित की जाएगी एवं शासन द्वारा निदेशालय लेखा परीक्षा की संस्तुति के क्रम में सम्बन्धित सी.ए. फर्म को वित्त विभाग के अंतगर्त समस्त कार्यों हेतु blacklist किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

7. सीए फर्मों के साथ निदेशालय लेखा परीक्षा एवं वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा दो मास में एक बार बैठक आहूत की जाएगी। सी ए फर्मों द्वारा बैठक में लेखा परीक्षा कार्य की समीक्षा की जाएगी। बैठक में समस्त सी ए फर्म टीमों के साथ प्रतिभाग अनिवार्य रूप से करगे । बैठक में विगत माहों की गयी लेखा परीक्षा कार्यो का मूल्याकंन किया जायेगा एवं आवश्यक सुधार हेतु सी .ए फर्मों को निर्देशित किया जा सकता हैं ।

8. लेखा परीक्षा रिपोर्ट का आंकलन एक्सपर्ट कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने के दो सप्ताह में किया जायेगा एवं संशोधन की स्थिति में फर्म को एक सप्ताह का समय दिया जायेगा ,जिसके उपरांत लेखा परीक्षा रिपोर्टों पारित किया जायेगा।

9 . कोड ऑफ़ एथिक्स (Code of Ethics) जो ICAI द्वारा समय -समय पर निर्धारित किये गए वह आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए सूचीबद्ध फर्मों द्वारा उन कोड ऑफ़ एथिक्स का अनुपालन किया जायेगा । निदेशालय लेखापरीक्षा एवं शासन द्वारा लेखा परीक्षा कार्य एवम लेखा परीक्षा किये जाने के समय आचरण सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की सी. ए. फर्मों की दलों द्वारा शिथिलता या उदासीनता दृष्टिगत होती है तो सम्बन्धित फर्म को BLACKLIST किया जा सकता है एवं ICAI को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट भी भेजी जा सकती है ।

उपरोक्त विभागों के लेखापरीक्षा यथासमय प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त उल्लेखित नियमों एवं समय सारणी का सूचीबद्ध सी.ए. फर्मो द्वारा अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निदेशालय लेखापरीक्षा के नोडल अधिकारियो द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों, नियमों एवं समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

पत्र सं0-23/xxvii(131)/2017 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन ,देहरादून।
2- सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन ,देहरादून।
3- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
4- सम्बन्धित, वित्त नियंत्रक /वरिष्ठ वित्त अधिकारी / वित्त अधिकारी ।
5- सम्बन्धित सी0ए0 फर्म।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।